रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-99/2019/2077/22-2-2019-17(818)/2019

लखनऊ: दिनांक: 30 अगस्त, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **महात्मा गॉधी की 150वीं जयन्ती (दिनांक 06 अप्रैल, 2019 दांडी मार्च) के अवसर पर जिला कारागार, अलीगढ** में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष **बन्दी हरवीर सिंह (बन्दी संख्या-248/17) पुत्र श्री जयराम सिंह,** जो-वसुन्धरा, थाना-अवागढ़, जनपद-एटा का रहने वाला है, जिन्हें **मुकदमा संख्या-830/11** में भा0द0वि0 की **धारा-420, 170** के अधीन दिनांक 12.04.2017 को मा0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट सं0-03), अलीगढ़ द्वारा 03 वर्ष 06 माह के कारावास से दण्डित किया गया तथा जिनके द्वारा दिनांक 05.04.2019 तक 02 वर्ष 05 माह 06 दिन की अपरिहार सजा काटी गयी है जो कुल दी गयी सजा के 66 प्रतिशत से अधिक है एवं जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं, तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये **जिला मजिस्ट्रेट, एटा** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-99/2019/2077(1)/22-2-2019 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।
3- पुलिस अधीक्षक, एटा।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0 प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in